प्रतिलिपि:– वरि इन्ट्रूमेन्ट अभियंता – संस्थान के बेवसाइड पर प्रकाशित के

Phone: 07564-234729
Email: fmti-mp@nic.in

Fax: 07564-234743
Web site: www.dacnet.nic.in/cfmtti

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
कृषि मंत्रालय, (कृषि एवं सहकारिता विभाग)
MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)
ट्रैक्टर नगर, बुदनी (म0प्र0) 466–445
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445

फा.सं.22–23 / 2014–15 फार्म सैक्शन

दिनांक 22.04.2021

निविदा सूचना

निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख 30.04.2021 शाम 03.00 बजे

एतत द्वारा समस्त सीजनल कृषि कार्य के लिए श्रमिक ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान मे निम्नलिखित कार्य के लिये निविदा आमन्त्रित की जाती है इस कार्य के संम्बध मे विस्तृत विवरण संस्थान की वेबासइड, cfmttibudni.govin.से डाउन लोड कर के प्राप्त की जा सकती है अथवा। संस्थान के नोटिस बोर्ड पर सोमबार से शुकबार तक किसी भी कार्य दिवस मे सुबह 9–5 बजे शाम तक संम्बधित अनुभाग (फार्म अनुभाग) से जानकारी प्राप्त कर सकते है।

कार्य कमांक	कार्य का विवरण	फाइल संख्या	शासकीय श्रमिक मजदूरी की वर्तमान दर	कार्य हेतु अनुमानित श्रमिको की संख्या	रिमार्क
01	250 एकड एरिया फार्म पर कृषि कार्य हेतु	फा. 22–23 / 2014–15 फार्म सैक्शन	रु.368 / –	प्रति दिन 15–20 श्रमिक	श्रमिको संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई बढाई जा सकती है

शर्ते

1. निविदा बंद लिफाफा मे तथा उसके उपर कार्य कमांक एवं फाइल संख्या अवश्य दर्शाये अंतिम तिथि 30.04.2021के बाद प्राप्त निविदा पर विचार नही किया जाऐगा।
2. निविदा की दर प्रति श्रमिक के अनुसार देना होगा। यह दर 31.08.2021 तक वैध रहेगी।
3. उपरोक्त कार्य के लिये समान दर / रेट होने पर एक से अधिक श्रमिक ठैकेदारो को कार्य ठैका दिया जा सकता है। तथा रेट के लिए न्यूनतम दर देने वालो को नेगोशेसन भी किया जा सकता है।
4. किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय के पास सुरक्षित है।

22.4.21
(जयबीर सिंह)
सस्य विज्ञानी
कृते निदेशक

Phone: 07564-234729
Email: fmti-mp@nic.in

Fax: 07564-2347
Web site: www.dacnet.nic.in/cfm

भारतसरकार
GOVERNMENT OF INDIA
केन्द्रीय कृषिमशीनरीप्रशिक्षण एवंपरीक्षणसंस्थान
CENTRAL FARM MACHINERY TRAINING & TESTING INSTITUTE
कृषिमंत्रालय, (कृषि एवंसहकारिता विभाग)
MINISTRY OF AGRICULTURE (DEPARTMENT OF AGRICULTURE & CO-OPERATION)
ट्रैक्टरनगर, बुदनी (म0प्र0) 466–445
TRACTOR NAGAR, P.O., BUDNI (M.P.) 466 – 445

फा.सं. .22–23/2021–22 लेबर ठेका

दिनांक 22.04.2021

निविदा की शर्ते

शर्ते :–

1. निविदा की दर प्रति श्रमिक प्रति माह के अनुसार देना होगा श्रमिको की संख्या उनकी उपस्थिति भी बिल के साथ कार्यालय के सम्बधित अनुभाग
को देना होगा।सुरक्षा/अन्य कार्य के लिये कई श्रमिको को ठेका दिया जा सकता है।
2. कार्या सम्बधित अनुभाग के सुपर विजन मे कार्य करना होगा तथा आवश्यकतानुसार अकुशल श्रमिको की संख्या बढानी होगी तो सम्बधित
अनुभाग ठेकेदार को सूचना मोखिक/लिखित रुप से दी जाऐगी।
3. निविदा देने वाले ठेकेदार के पास पैन कार्ड होना आवश्यक है अन्यथा 2 प्रतिशत राशि बिल राशि से कम करके भुगतान किया जायेगा। पैन
कार्ड होने पर पर 1 प्रतिशत राशि बिल मे से कमकर के बिल का भुगतान किया जायेगा।
4. श्रम संबधी नियम स्वयं अर्थात ठेकेदार को पालन करना होगा यदि कोई राज्य/केन्द्र सरकार कोई भी टेक्स राशि देय होगी तो ठेकेदार को
वहन करना होगा।
5. किसी भी श्रमिक की उम्र 18 वर्ष से कम नही होना चाहिये।
6. श्रमिक शारीरिक मानसिक रुप से विकलांग नही होना चाहिय।
7. ठेके अवधि समाप्ति के बाद श्रमिक को या ठेकेदार की ओर से किसी भी प्रकार स्थाई नियुक्ति का दावा पाने का अधिकार प्राप्त नही होगा।
8. डयूटी करते समय यदि कोई अप्रिय घटना घटती है।शारीरिक अथवा मानसिक रुप से किसी को क्षति पहुचती है। तो सुरक्षा श्रमिको अथवा
ठेकेदार को क्षति पूर्ति के लिए यह संस्थान/सस्थान का कोई भी कर्मचारी जिम्मेदार नही होगा।
9. यदि आवश्यकता अनुसार कार्य की अधिकता को देखते हुए गुणवत्ता के आधार पर ठेके की अवधि कम या अधिक की जा सकती है।
10. ठेकेदार या उसके श्रमिक डयूटी के दौरान शासकीय सम्पत्ति को क्षति पहुँचती है । तो उसकी भरपाई ठेकेदार को वहन करना होगा।
11. यदि ठेकेदार का श्रमिक डयूटी पर अनुपस्थित या सोता हुआ पाया गया एवं लापरवाही करते पाया जाता है।तो उस दिन का भुगतान नही
किया जाऐगा एवं उस श्रमिक को कार्य से रोका जा सकता है।
12. ठेकेदार के श्रमिक की डयूटी के दौरान चोरी की वारदात होती है। तो उसकी भरपाई भी ठेकेदार को बहन करना होगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष
रुप से ठेकेदार जिम्मेदार होगा।
13. ठेकेदार के द्वारा लगाये गये श्रमिको का पूर्ण बायोडाटा कार्य पर लगाने के पूर्व कार्यालय मे देना होगा।
14. ठेकदार द्वारा ऐसे ही श्रमिको का ही लगाया जाऐगा जिनका चरित्र ठीक हो और वह अपराधी प्रवृति का न हो तथा उसके विरुध कोर्ट कचहरी
मे कोई भी प्रकरण विचाराधीन नही हो।
15. निविदा दाता एवं उसके किसी भी कर्मचारी के साथ किसी तरह की दुर्घटना अथवा विवाद की स्थिति मे निपटान के लिए न्याय क्षेत्र बुदनी
न्यायालय ही मान्य होगा।
16. जमानत राशि कमेटी की स्वीकृति के समय कमेटी द्वारा निधारित जमानत राशि को जमा करना होगा।
17. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत संस्थान से कोई भी जानकारी मांगी जाती है तो ठेकेदार को देना होगा।
18. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार निदेशक महोदय के पास रहेगा।

जो भी व्यक्ति 250 एकड़ एरिया पर कृषि कार्य हेतु ठेका लेने के इच्छुक हो वे अपना आवेदन डाक द्वारा अथवा निविदा आधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे दिनांक ***30.04.2021*** तक पहुँचना अनिवार्य है।बाद मे प्राप्त आवेदनो पर कोई भी विचार नही किया जाऐगा।

(जयबीर सिंह)
सस्य विज्ञानी
कृते निदेशक

वितरण:– 1.मुख्य कार्यालय , प्रशिक्षण ,परीक्षण, कार्यालय मुख्यगेट, कालोनी गेट ,2.नोटिस बोर्ड – नगरपालिका,जनपद कार्यालय,रेल्वे स्टेशन, मुख्य बाजार बुदनी